राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
नसिन कॉम्पलैक्स, सैक्टर-29, फ़रीदाबाद-121008

नासिन/I/(15)/3/2020-प्रशा.

दिनांक:__.09.2020

किराए के वाहनों हेतु निविदा सूचना (in Hindi)

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी (नासिन), फरीदाबाद, नासिन परिसर, सैक्टर-29, फ़रीदाबाद-121008 द्वारा आधिकारिक उपयोग हेतु तदर्थ किराया के आधार पर चालक(ड्राइवर) सहित वाहन आपूर्ति करने वाली प्रतिष्ठित पार्टियों /एजेंसियों से बिड्स(ऑनलाइन) को आमंत्रित की जाएगी। सीपीपीपी पोर्टल के अनुसार इच्छुक पार्टियां /एजेंसियां जो इस सूचना में निर्देशित नियमों एवं शर्तों का पालन करने को तैयार हैं, वे अपनी बिड्स को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय तक या उससे पहले https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

बीओक्यू प्रारूप (अनुलग्नक-ख), निविदा स्वीकृति पत्र(अनुलग्नक-ग) और अनुभव प्रमाणपत्र(अनुलग्नक-घ), सी.ए. प्रमाणपत्र में तकनीकी बिड(अनुलग्नक-क), वित्तीय बिड के लिए संलग्न होना चाहिए।

वित्तीय बिड को केवल तभी लिया जाएगा जब तकनीकी विनिर्देश संतोषजनक पाए जायेँगे; अन्यथा निविदा को सीधा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

निविदा सूचना का विवरण सीबीआईसी /नासिन के वैबसाइट:- www.cbic.gov.in एवं www.nacin.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

किराए पर लिए जाने वाले वाहनों का विवरण निम्नानुसार है :

श्रेणी

श्रेणी-1 : कार

1. सुज़ुकी डीज़ायर/ हुंडई एक्सेंत या इसके समतुल्य सुसंबद्ध आकार की कार
2. होण्डा सिटि/ हुंडई वर्णा/टोयोटा कोरोला या इसके समतुल्य माध्यम आकार की कार
3. टोयोटा इनोवा क्रिस्ता/ टाटा हेक्सा/ महिंद्रा एक्सयूवी या इसके समतुल्य 6 या 7 सीटों वाला एसयूवी/ एमयूवी

श्रेणी-2 : सार्वजनिक वाहन

1. 16 एवं 22 सीटों वाला टैम्पो,
2. 35,40 एवं 45 सीटों वाला बस,

आवश्यकता पड़ने पर किराए पर मंगवाना होगा।

वाहन के प्रकार को इंगित करने वाली दर, रात्रि शुल्क (रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक) सहित प्रति किमी और प्रतिदिन, पूर्ण दिवस शुल्क (80 किमी / 8 किमी), प्रति घंटे के आधार पर अतिरिक्त शुल्क, अतिरिक्त किलोमीटर शुल्क, प्रातः 5.00 से रात्रि 10.00 बजे के बीच प्रति दिन 250 कि.मी. की न्यूनतम गारंटी सहित बाहय स्थान (दिल्ली /एनसीआर के बाहर) शुल्क प्रति दिन ।

विशिष्ट नियम और शर्तें

1. जब भी बोला जाए, इस कार्यालय को आधे घंटे के भीतर वाहन उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।
2. वाहनों का रिपोर्टिंग समय निर्धारित पिक-अप समय से 30 मिनट पहले होगा।
3. इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वाहनों को प्रतिदिन काम पर रखा जाएगा, वाहनों की आवश्यकता शून्य से 10 वाहनों तक अलग-अलग दिनों में अलग-अलग हो सकती है।
4. कुछ विशेष अवसरों पर वाहनों की थोक में आवश्यकता हो सकती है, अर्थात्

30 तक। वाहनों की थोक आवश्यकता हेतु, आवश्यकता को कम से कम एक दिन पहले सूचित किया जाएगा। लेकिन तत्काल स्थितियों में सेवा प्रदाता को सूचित किए जाने के 4 घंटे के भीतर वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम होना होगा।

5. दोनों श्रेणियों के वाहनों अर्थात् कार और सार्वजनिक वाहन के लिए अलग-अलग अनुबंध होंगे एवं यह अनुबंध उन्ही को दिया जाएगा जो प्रत्येक श्रेणी में सबसे कम (या औसतन न्यूनतम मूल्य) बोली लगाएगा और निविदा दस्तावेज में दिए गए सभी नियमों और शर्तों को पूरा करेगा।

सूचना पत्रक

क्र.सं.	सामाग्री	विवरण
1.	हायरकर्ता का नाम	नासिन, फ़रीदाबाद
2.	निविदा आमंत्रक प्राधिकारी	अपर निदेशक, नासिन, फ़रीदाबाद
3.	निविदा का नाम	किराए(हायरिंग) के वाहन
4.	चयन-प्रक्रिया	खुली निविदा
5.	निविदा दस्तावेजों की उपलब्धता	केंद्रीय लोक खरीद पोर्टल https://eprocure.gov.in/eprocure/app से डाउनलोड किया जा सकता हैं
6.	निविदा सूचना जारी करने की तारीख और समय	सीपीपीपी पोर्टल के अनुसार
7.	बिड /प्रस्ताव(प्रस्थापना) जमा करने की अंतिम तिथि और समय	सीपीपीपी पोर्टल के अनुसार
8.	बिड खुलने का समय, दिनांक और स्थान	सीपीपीपी पोर्टल के अनुसार, नासिन, फरीदाबाद, नासिन परिसर, सैक्टर-29, फरीदाबाद-121008,
9.	बिड प्रस्तुत करने की भाषा	अंग्रेजी
10.	मुद्रा	भारतीय रुपए (INR)
11.	किराए(हायरिंग) की अवधि	अनुबंध की तिथि से एक वर्ष

<u>दस्तावेज़ को डाउनलोड करने</u> :

निविदा दस्तावेजों को केंद्रीय लोक खरीद पोर्टल https://eprocure.gov.in/eprocure/app से डाउनलोड किया जा सकता हैं। इच्छुक बिडर्स जिन्होंने ई-प्रोक्योरमेंट(अधिप्राप्ति) में नामांकन /पंजीकरण नहीं किया है, उन्हें वेबसाइट के माध्यम से भाग लेने से पहले नामांकन /पंजीकरण करना होगा। पोर्टल नामांकन निःशुल्क है।

<u>बिड जमा करना</u> :

बिड्स को केंद्रीय लोक खरीद पोर्टल(सीपीपीपी) https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर केवल ऑनलाइन जमा किया जाएगा। बिड दस्तावेजों को काले और सफेद विकल्प सहित 100 डीपीआई के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ के आकार को कम करने में सहायक होता है।

- निविदाकार वेबसाइट पर निविदा दस्तावेजों को अभिगम करने, उन्हें सभी उपयुक्त जानकारी के साथ भरने और https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक निविदा में पूर्ण निविदा दस्तावेज़ को जमा किया जा सकता हैं ।
- निविदाकारों और सहायक दस्तावेजों को ई-प्रोक्योरमेंट(अधिप्राप्ति) पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। निविदा दस्तावेजों के हार्ड कॉपी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट रूप से पठनीय /सुपाठ्य होने चाहिए। अमान्य दस्तावेजों को तकनीकी मूल्यांकन चरण में अस्वीकार किया जा सकता है।

<u>निविदा सूचना की सामान्य शर्तें एवं नियमें</u> :

1. निविदा दस्तावेज में निर्धारित प्रारूप के अनुसार बिड को कड़ाई से प्रस्तुत किया जाएगा।
2. **इस निविदा दस्तावेज के साथ एक सूचकांक (अनुलग्नक-च) संलग्न है; बोलीदाताओं को अपने तकनीकी दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना होगा और आवश्यक दस्तावेज के पृष्ठ संख्या को दर्शाते हुए सूचकांक को ठीक से भरना होगा। उचित अनुक्रमण के बाद केवल तकनीकी दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा।**
3. **इस दस्तावेज के साथ संलग्न तकनीकी बिड(अनुबंध-क) को विधिवत भरा और अपलोड करना होगा। अनुचित /अपूर्ण अनुबंधों वाले किसी भी निविदा दस्तावेज को सीधे खारिज कर दिया जाएगा और तकनीकी मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।**

4. **अनावश्यक दस्तावेज़ मुद्रण से बचने के लिए बिना मांगे कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ अपलोड नहीं करना है।**
5. सेवा प्रदाता के पास एक स्वामित्व /साझेदारी /पंजीकृत फर्म /कंपनी होना चाहिए और इस कार्यालय(अर्थात् नासिन, फ़रीदाबाद) के 25 कि.मी. के दायरे में दिल्ली /एन.सी.आर. में पंजीकृत होना चाहिए। जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति उसी क प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
6. सेवा प्रदाता के पास किसी भी सरकारी विभाग को वाहन प्रदान करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और इसे प्रमाणित करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज भी निर्दिष्ट प्रारूप (अनुबंध-घ) में तकनीकी बिड सहित प्रस्तुत करना होगा।
7. सेवा प्रदाता के पास पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19, 2019-20) में से प्रत्येक के दौरान न्यूनतम टर्नओवर ₹25 लाख होना चाहिए। प्राधिकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित टर्नओवर कथन की एक प्रति को निविदा दस्तावेज (अनुबंध-ङ) के साथ संलग्न करना होगा।
8. वाहनों के निरीक्षण एवं वाहनों के मूल दस्तावेजों जैसे- आरसी, बीमा, पीयूसी आदि को सत्यापित और ड्राइवरों के साथ बैठक करने के बाद बोली लगाने वाले के साथ करार किया जाएगा। मूल्यांकन समिति अनुबंध के लिए सफल एल-1 बिडर पर विचार करेगी और यदि एल-1 बिडर अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार वाहनों को प्रदान करने में विफल रहता है, तो मूल्यांकन समिति अनुवर्ती सफल बिडर एल-2 पर विचार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
9. दोनों श्रेणियों के वाहनों अर्थात् कार और सार्वजनिक वाहन के लिए अलग-अलग अनुबंध होंगे एवं यह अनुबंध उन्ही को दिया जाएगा जो प्रत्येक श्रेणी में सबसे कम (या औसतन सबसे कम मूल्य) बोली लगाएगा और निविदा दस्तावेज में दिए गए सभी नियमों और शर्तों को पूरा करेगा।
10. वाहनों की अपेक्षित संख्या प्रदान करने में सफल सेवा प्रदाता द्वारा विफलता के खिलाफ सुरक्षा के लिए एवं इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, यह कार्यालय अन्य सेवा प्रदाताओं को सूची में शामिल किया जा सकता है जो समान शर्तों एवं एल -1 के रूप में स्थितियों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हैं। ।
11. यह कार्यालय किराए पर लिए जा रहे वाहनों की आवश्यकताओं को संशोधित करने का अधिकार रखता है। सेवा प्रदाता को इस कार्यालय द्वारा निविदा में अनुमोदित दरों के अनुसार उतने ही वाहन उपलब्ध कराने होंगे जितने की आवश्यकता हो।
12. तैनात वाहन नवीनतम मॉडल का होना चाहिए (दो वर्ष से अधिक पुराना नहीं होनी चाहिए अर्थात् पंजीकरण की तिथि सितंबर 2018 या उसके बाद की होना चाहिए)। वाहनों

में साफ सीट कवर /तौलिया, कार इत्र, सैनिटाइजर, टिशू बॉक्स होना चाहिए और प्रत्येक दिन वाहन अच्छी स्थिति में तैनात होना चाहिए।

13. ड्यूटी पर भेजे जाने से पहले वाहनों को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाना चाहिए।
14. वाहनों का बड़े पैमाने पर बीमा किया जाना चाहिए और परिवहन कानूनों या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण से मौजूदा कानूनों के अनुसार आवश्यक परमिट /निकासी करना चाहिए। वाहनों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आवश्यक प्रदूषण प्रमाणपत्र भी ले जाने चाहिए। सेवा प्रदाता का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि आवश्यक दस्तावेज /परमिट मान्य हैं और समय पर नवीनीकृत हैं।
15. बिडर को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आवश्यक दस्तावेज (पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा के कागजात, पीयूसी प्रमाण पत्र, परमिट आदि) सभी समय पर ड्राइवर के पास उपलब्ध हों।
16. यदि आवश्यक होगी तो शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश सहित सभी दिन वाहन उपलब्ध करवाना होगा।
17. माइलेज की गणना इस कार्यालय से इसी कार्यालय तक होगी, गैरेज से गैरेज आधार पर नहीं। इस प्रयोजन के लिए, सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि आपूर्ति किए गए वाहन का ओडोमीटर ठीक से सील है कि नहीं। किसी भी संदेह के मामले में इस कार्यालय के अधिकृत अधिकारी सेवा प्रदाता की लागत पर किसी भी अधिकृत कार्यशाला से वाहन की ओडोमीटर जांच करवा सकते हैं।
18. किसी भी स्थिति में वाहन चलाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
19. बिड जमा करने के समय, दिल्ली /एनसीआर में पंजीकृत सेवा प्रदाता को न्यूनतम 8 वाहनों (सुसंबद्ध (कॉम्पैक्ट) आकार, मध्य आकार, एसयूवी /एमयूवी और टेम्पो ट्रैवलर के प्रत्येक का 2) का विवरण प्रदान करना होगा जिसकी पंजीकरण की तारीख सितंबर 2018 से अधिक ना हो। प्रमाण के रूप में आरसी की प्रति बिड के साथ संलग्न की जानी चाहिए और तकनीकी बिड में निर्धारित प्रारूप में विवरण भरना चाहिए।
20. उपर्युक्त वाहनों के लिए 8 ड्राइवरों का विवरण देना होगा। प्रमाण के रूप में, उनके लाइसेंस की प्रति को बिड के साथ संलग्न करना होगा और तकनीकी बिड में निर्धारित प्रारूप में विवरण भरना होगा।
21. इस कार्यालय में सेवा के लिए प्रतिनियुक्त चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए उन्हें दो से अधिक पंच या चालान में शामिल नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ कोई पुलिस रिकॉर्ड /आपराधिक मामला (पिछला या लंबित) नहीं होना चाहिए। सेवा प्रदाता को इस कार्यालय में सेवा के लिए प्रतिनियुक्त

करने से पूर्व ड्राइवरों के पूर्ववृत्त के बारे में पर्याप्त पूछताछ करनी चाहिए। इस संबंध में एक उपक्रम प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

22. ड्राइवरों को उचित रूप से तैयार किया जाना चाहिए और उन्हें काम करने की स्थिति में एक मोबाइल फोन रखना होगा, जिसके लिए इस कार्यालय द्वारा कोई अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।
23. ड्राइवरों को दिल्ली /एनसीआर की सड़कों और मार्गों का अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। ड्राइवरों के संचालन और कार्यों को मोटर वाहन अधिनियम और नियम के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।
24. ड्राइवरों को ड्यूटी की पूरी अवधि के दौरान वाहन के साथ रहना होगा। किसी भी आवश्यकता के मामले में, उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना होगा।
25. ड्राइवरों को ड्राइविंग का न्यूनतम तीन साल का अनुभव होना चाहिए, जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की तारीख से सत्यापित होना चाहिए।
26. यह कार्यालय किसी भी चालान, हानि, क्षति या वाहन के किसी भी दुर्घटना या किसी अन्य वाहन के लिए या ड्राइवर के चोट या किसी अन्य तीसरे पक्ष के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रकार के नुकसान या क्षति या कानूनी खर्च सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
27. ड्यूटी पर वाहन के किसी भी प्रकार के टूट-फूट के मामले में, सेवा प्रदाता अन्य वाहन प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। ऐसे मामले में, गैरेज से टूट-फूट या इसके विपरीत के माइलेज का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि सेवा प्रदाता उचित समय के भीतर वैकल्पिक वाहन प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो यह कार्यालय खुले बाजार से समान श्रेणी का वाहन किराए पर लेगा और उसी के लिए बिल ऑपरेटर द्वारा वहन किया जाएगा।
28. यह कार्यालय दस्तावेजी साक्ष्य के उत्पादन के लिए टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगा।
29. ड्राइवर के वेतन और भत्ते से संबंधित सभी खर्च सेवा प्रदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। जैसे-बीमा, रखरखाव और ईंधन आदि से संबंधित वाहन के सभी व्यय भी सेवा प्रदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
30. एजेंसी उसके द्वारा तैनात ड्राइवरों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी आदि से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। सेवा प्रदाता, इस कार्यालय के लिए उनके द्वारा तैनात ड्राइवरों को मजदूरी और अन्य देयताओं के भुगतान एवं श्रम कानूनों के अनुपालन, लागू कल्याणकारी योजनाओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

31. बिडर को प्रलेखित दस्तावेज़ और भागों /अनुलग्नक में निहित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ने और पूरी तरह से समझने के लिए माना जाएगा। निविदा की स्वीकृति /अस्वीकृति के संबंध में कोई जांच, मौखिक या लिखित विचार नहीं किया जाएगा।

32. सेवा प्रदाता किसी भी व्यक्ति का दुर्घटना /क्षति या किसी भी व्यक्ति के संपत्ति का नुकसान या कार्य को निष्पादित करने में या अन्यथा और सभी दावों के खिलाफ और तत्संबंधी मांग के संबंध में उसके नियंत्रण में उसके हिस्से पर या उसके कर्मचारी या किसी व्यक्ति की भी लापरवाही के साथ जुड़े या के कारण उत्पन्न सभी क्षति/ आरोपों के खिलाफ विभाग को हर्जाना देने के लिए जिम्मेदार होंगे।

33. किसी भी केंद्र सरकार के विभाग /मंत्रालयों /पीएसयू /बैंकों आदि द्वारा बिडर को स्व-प्रमाण पत्र को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाना चाहिए। इस आशय का एक शपथ पत्र ₹100/- के स्टैंप पेपर पर तकनीकी बिड के साथ सुसज्जित किया जाना चाहिए। ।

34. यदि कोई वाहन किसी भी दिन ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करता है या ड्राइवर देर से रिपोर्ट करता है (निर्धारित रिपोर्टिंग समय की तुलना में 20 मिनट से अधिक देर) या निविदा के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो ऐसी प्रत्येक घटना के लिए ₹500/- का जुर्माना प्रति छोटे आकार के वाहन हेतु, ₹1000/- प्रति मध्य /बड़े आकार के वाहन हेतु और ₹2000/- प्रति टेम्पो ट्रेवलर /बस हेतु लगाया जाएगा।

35. सेवा प्रदाता अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान अनुबंध /निविदा की शर्तों के अनुसार मेक /मॉडल के वाहन प्रदान करेगा। दुर्लभ परिस्थितियों में, इस स्थिति को अस्थायी रूप से इस कार्यालय द्वारा बंद किया जा सकता है।

36. सेवा प्रदाता को इस कार्यालय के लिए तैनात वाहनों के बेड़े के लिए एक एकल संपर्क व्यक्ति /पर्यवेक्षक उपलब्ध कराना चाहिए। वाहनों की निगरानी रखना पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होगी, साथ ही वाहनों के संबंध में कोई निर्देश इस कार्यालय द्वारा पर्यवेक्षक को टेलीफोन पर सूचित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पर्यवेक्षक की होगी कि वाहन निर्धारित स्थान पर पहुंचे और निर्धारित अधिकारी को समय पर रिपोर्ट करे। अनुबंध पर पर्यवेक्षक का संपर्क विवरण तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

37. अनुबंध शुरू में बारह महीने की अवधि के लिए होगा जो समान नियमों और शर्तों पर संतोषजनक सेवाओं पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

38. यदि सेवा की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई जाती है जैसे-वाहन साफ नहीं है या ड्राइवर देर से रिपोर्ट करता है, ड्राइवर उचित तरीके से कपड़े नहीं पहन रहा है या वाहन अच्छी स्थिति में नहीं है आदि ऐसे 3 दृष्टांत के बाद, यह कार्यालय बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस तरह की समाप्ति के मामले में, अन्य पैनल सेवा प्रदाताओं की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।

39. एक महीने की अग्रिम सूचना देकर समय से पहले सेवा प्रदाता द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
40. किसी भी विवाद के मामले में, डीजी नासिन अंतिम निर्णायक प्राधिकरण होगी।
41. बिडर्स अपनी बिड्स के साथ पीएओ सीबीईसी के पक्ष में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ₹20,000/- (रुपये मात्र बीस हजार) की एक बिड सुरक्षा (बयाना राशि) जमा करना होगा। ।
42. बिड स्वीकार करने पर, सेवा प्रदाता को अनुबंध देते समय पीएओ, सीबीईसी के पक्ष में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी के रूप में ₹50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) की राशि का सुरक्षा निष्पादन जमा करना होगा। सुरक्षा निष्पादन अनुबंध के पूरा होने की तारीख से कम से कम साठ दिनों की अवधि के लिए वैध रहना चाहिए।
43. यदि अनुबंध को प्रारंभिक अवधि से आगे बढ़ाया जाता है, तो सुरक्षा निष्पादन को सेवा प्रदाता द्वारा तदनुसार नवीनीकृत करना होगा।
44. इस समझौते की अवधि के दौरान, कोई भी मामला या विवाद, जिसे विशेष रूप से इस अनुबंध में शामिल नहीं किया गया है, इस कार्यालय के प्रधान महानिदेशक द्वारा तय किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम और सेवा प्रदाता के लिए बाध्यकारी होगा।
45. इस कार्यालय द्वारा कोई भी सशर्त बिड नहीं लगाई जाएगी और सभी सशर्त बिड्स को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।
46. अग्रिम में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। सभी भुगतान मासिक आधार पर ड्यूटी स्लिप द्वारा समर्थित बिल के खिलाफ किए जाएंगे।
47. प्रधान महानिदेशक, नासिन फरीदाबाद जुर्माना की वसूली के लिए पूर्ण या आंशिक विषय में किसी भी भुगतान को वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
48. ऊपर दिए गए पैरा में उल्लिखित 'भुगतान' में सेवा प्रदाता द्वारा इस अनुबंध के खाते से उत्पन्न होने वाले भुगतान के कारण भुगतान शामिल है, जो अनुबंध के अलग-अलग खंडों द्वारा शासित अर्नेस्ट मनी और प्रदर्शन सुरक्षा को छोड़कर है।
49. इस कार्यालय में उचित जीएसटी के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

संलग्नक:

अनुलग्नक-क: तकनीकी बिड

अनुलग्नक-ख: वित्तीय बिड

अनुलग्नक-ग: निविदा स्वीकृति पत्र

अनुलग्नक-घ: अनुभव प्रमाणपत्र
अनुलग्नक-ङ: सी.ए. प्रमाणपत्र
अनुलग्नक-च: शपथ-पत्र

हस्ताक्षर____________________
(अपर निदेशक)

प्रतिलिपि :-

(1) सूचना पट्ट

(2) विभागीय वेबसाइट के माध्यम से व्यापक प्रचार के लिए वेब प्रबंधक, नासिन परिसर, सैक्टर-29, फ़रीदाबाद-121008 ।

(3) आधिकारिक वेबसाइट पर एक ही जैसा अपलोड करने के अनुरोध के साथ वेब प्रबंधक, सीबीआईसी(पूर्व सीबीईसी), नई दिल्ली ।

हस्ताक्षर____________________
(अपर निदेशक)

<u>निविदा जमा करना</u>:

निविदा दो भागों अर्थात, तकनीकी बिड और वित्तीय /मूल्य बिड में ऑनलाइन जमा की जाएगी।
टेलीग्राम /फैक्स /ईमेल द्वारा जमा प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मामले में ऐसा कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नक - 'क'

<u>तकनीकी बिड</u>

क्र.सं.	तकनीकी मापदंड	भरे जाने वाले			जमा किए

		विवरण			**जाने वाले दस्तावेज़**
1	बिडर का विवरण	नाम			जीएसटी प्रमाणपत्र
		कार्यालय का पता			
		कार्यालय का टेलीफ़ोन नंबर			
		पैन नंबर			
		जीएसटी नंबर			
2	अनुभव का विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु (नियोक्ता का नाम/विभाग)			अनुलग्नक-'घ' के अनुसार
		वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु (नियोक्ता का नाम/विभाग)			
		वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु (नियोक्ता का नाम/विभाग)			
3	ड्राइवर का विवरण	नाम	लाइसेंस नंबर	तक वैध	लाइसेंस
		नाम	लाइसेंस नंबर	तक वैध	
		नाम	लाइसेंस नंबर	तक वैध	
		नाम	लाइसेंस नंबर	तक वैध	
		नाम	लाइसेंस नंबर	तक वैध	
		नाम	लाइसेंस नंबर	तक वैध	
		नाम	लाइसेंस नंबर	तक वैध	
		नाम	लाइसेंस नंबर	तक वैध	
4	वाहनों का विवरण (डीज़ायर/एक्सेंट या कोई समतुल्य छोटे आकार का वाहन)	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि	मेक एवं मॉडल	पंजीकरण प्रमाणपत्र
		पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि	मेक एवं मॉडल	

	वाहनों का विवरण (होंडा सिटी/हुंडई वर्ना/टोयोटा कोरोला या कोई समतुल्य छोटे आकार का वाहन)	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि	मेक एवं मॉडल	
		पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि	मेक एवं मॉडल	
	वाहनों का विवरण (टोयोटा इनोवा क्रिस्ता/ टाटा हेक्सा/ महिंद्रा एक्सयूवी या इसके समतुल्य 6 या 7 सीटों वाला एसयूवी /एमयूवी)	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि	मेक एवं मॉडल	
		पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि	मेक एवं मॉडल	
	वाहनों का विवरण (टेम्पो ट्रेवलर)	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि	मेक एवं मॉडल	
		पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि	मेक एवं मॉडल	
5	अंतिम तीन वित्तीय वर्षों (2019-20, 2018-19, 2017-18) के दौरान टर्नओवर	सी.ए. फ़र्म का नाम	प्रमाणपत्र की तिथि		सी.ए. प्रमाणपत्र (संलग्नक-‘ङ’)
6	निविदा दस्तावेजों के अनुसार अन्य सभी दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक है				

<u>तकनीकी बिड उपक्रम</u>

बिडर का पूरा नाम एवं पता ....

....

....

सेवा में,

महोदय/ महोदया,

यदि राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी (नासिन), फरीदाबाद, नासिन परिसर, सैक्टर-29, फ़रीदाबाद-121008 द्वारा आधिकारिक उपयोग हेतु तदर्थ किराया के

आधार पर चालक(ड्राइवर) सहित वाहन आपूर्ति करने का कार्य मुझे प्रदान किया जाता है, तो मैं वचन देता हूँ कि :

1.आपके कार्यालय को मेरे द्वारा प्रदान किए गए वाहन नवीनतम मॉडल के होंगे और दो वर्ष से अधिक पुराने नहीं होंगे।

2. मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपके कार्यालय में मेरे द्वारा प्रदान किए गए ड्राइवरों के खिलाफ कोई पुलिस रिकॉर्ड /आपराधिक मामले(पिछले या लंबित) नहीं हैं और न ही वे लापरवाही से ड्राइविंग के लिए दो से अधिक पंच या चालान में शामिल हैं। मैं उन्हें इस कार्यालय में सेवा के लिए प्रतिनियुक्त करने से पहले ड्राइवरों के पूर्ववृत्त के बारे में पर्याप्त पूछताछ करूंगा।

3. आपका कार्यालय किसी भी चालान, हानि, क्षति या वाहन के किसी भी दुर्घटना या किसी अन्य वाहन के लिए या ड्राइवर या कोई तीसरा पक्ष पूछताछ के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस खाते पर होने वाला नुकसान या क्षति या कानूनी व्यय मेरे द्वारा वहन किया जाएगा।

4. मेरे द्वारा तैनात ड्राइवरों को न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होगा।

5. मैं किसी भी व्यक्ति का दुर्घटना /क्षति या किसी भी आदमी के संपत्ति का नुकसान या कार्य को निष्पादित करने में या अन्यथा और सभी दावों के खिलाफ और तत्संबंधी मांग के संबंध में मेरे नियंत्रण में अपने हिस्से पर या मेरे कर्मचारी या किसी व्यक्ति की भी लापरवाही के साथ जुड़े या के कारण उत्पन्न सभी क्षति/ आरोपों के खिलाफ विभाग को हर्जाना देने का जिम्मा लेता हूँ।

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

अनुलग्नक -'ख'

<u>वित्तीय बिड</u>

<u>मूल्य बिड</u>

1.मूल्य बिड

2. मूल्य बिड उपक्रम

<u>मूल्य बिड (बीओक्यू)</u>

क्र.सं.	**वाहनों का प्रकार/वर्ग**	**मूल दर (80**	बाह्य स्थान (दिल्ली/एनसीआर	**मूल्य प्रति**	**मूल्य प्रति**	**रात्रि शुल्क**

		कि.मी. एवं 8 घंटे हेतु)	के बाहर) प्रतिदिन का शुल्क (न्यूनतम 250 कि.मी.) (प्रातः 5.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक)	**अतिरिक्त कि.मी.**	**अतिरिक्त घंटा**	**(प्रति रात अर्थात्** रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक)
वर्ग-1: कारें						
1	मारुति डीज़ायर/ हुंडई एक्सेंत या इसके समतुल्य सुसंबद्ध आकार की कार					
2	होण्डा सिटि/ हुंडई वर्णा/ टोयोटा कोरोला या इसके समतुल्य माध्यम आकार की कार					
3	टोयोटा इनोवा (6 एवं 7 सीटों वाला) टाटा हेक्सा/ इसके समतुल्य एसयूवी/					

	एमयूवी					
वर्ग-2 : सार्वजनिक वाहन						
1.1	16 सीटों वाला टेम्पो ट्रेवलर					
1.2	22 सीटों वाला टेम्पो ट्रेवलर					
2.1	35 सीटों वाला बस					
2.2	40 सीटों वाला बस					
2.3	45 सीटों वाला बस					

मूल्य बिड उपक्रम

प्रेषक: (बिडर का पूरा नाम एवं पता) --

सेवा में,

महोदय /महोदया,

1. मैं / हम ______________________(नाम) ______________ मूल्य बिड प्रस्तुत करता/करते हूँ/हैं______________________के लिए_____________________(निविदा नाम/सं.) _____________ और बिड प्रलेखन में संबंधित गतिविधियां परिकल्पित हैं।
2. मैं/हम सभी शर्तों को ठीक से जांच एवं समझ लिया/लिये हूँ/हैं जोकि बिड प्रलेखन में निहित है, और उन्हें पालन करने लिए सहमत हूँ/हैं।
3. मैं/हम मूल्य बिड में इंगित दरों पर काम करने का प्रस्ताव करता/करते हूँ/हैं।
4. मैं/हम वचन देता/देते हूँ/हैं कि मैं/हमने निविदा की नियम एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक अध्ययन किया हूँ/है और उनकें द्वारा पालन किया जायेगा। इसके अलावा, यह प्रमाणित किया जाता है कि मुझे/हमेंकिसी भी सरकारी/पीएसयू विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

अनुलग्नक-ग

निविदा स्वीकृति पत्र

(कंपनी/फर्म पत्रशीर्षपर दिया जाएगा)

दिनांक:

सेवा में,

____

____

____

विषय: निविदा के नियम एवं शर्तों की स्वीकार्यता।

निविदा संदर्भ सं.________________________

निविदा /कार्य का नाम:-

महोदय /महोदया,

1. मैंने हमने वैब साइट(टों) से उपरोक्त 'निविदा/कार्य' के लिए निविदा प्रलेखन डाउनलोड /प्राप्त कर लिया/लिये है/हैं, अर्थात्:____
____
आपके विज्ञापन के अनुसार, उपर्युक्त वेबसाइट(ओं) में दिया गया है।
2. मैं /हम एतद्द्वाराप्रमाणित करता/करते हूँ/हैं कि मैंने / हमने निविदा प्रलेखनोंके सभी नियम एवं शर्तों को पढ़ा है (सभी प्रलेखन जैसे कि उपाबंध(धों), समय-सारणी(यों), आदि),जो कि अनुबंध सहमति के रूप का हिस्सा है और मैं/हम इसमें निहित नियमों /शर्तों /खंडों का पालन करूँगा/करेंगे।
3. इस स्वीकृति पत्र को जमा करते समय,आपके विभाग /संगठन द्वारा भी समय-समय पर शुद्धिपत्र जारी किया गया है व उसे भी ध्यान में भीरखा गया है।
4. मैं / हम एतद्द्वारा अशर्त उपरोक्त निविदा शर्तों को समग्रता /संपूर्णता में उल्लेखित निविदा प्रलेखन(नों), शुद्धीपत्र(त्रों) को स्वीकार करता/करते हूँ/हैं।
5. यदि इस निविदा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पाया जाता है,तब आपका विभाग /संगठन पूर्ण बयाना जमाराशि की जब्ती सहित किसी अन्य अधिकार के पक्षपात के बिना या इस निविदा /बिड को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्रता होगा।

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

<u>अनुलग्नक-'घ'</u>

(जारीकर्ता कार्यालय के लेटरहेड पर)

सभी संबंधितों को

यह प्रमाणित होता है कि ____________________________________ में अपना पंजीकृत कार्यालय रखने वाले मेसर्स _________________________________ ने हमारे संगठन को मासिक आधार पर ____________वाहन प्रदान की है, जो __________ तारीख से _________ तक की अवधि के लिए शुरू होती है।

यह प्रमाणित होता है कि उपरोक्त अनुबंध अवधि के दौरान मेसर्स ___________________ का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है।

(हस्ताक्षर)

हस्ताक्षकर्ता प्राधिकारी का नाम और पदनाम

(आधिकारिक मोहर)

टिप्पणी: तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2017-18, 2018-19, 2019-20 का पालन करने के लिए अनुभव पत्र आवश्यक हैं।

अनुलग्नक-'ङ'

<u>सभी संबंधितों को</u>

यह प्रमाणित होता है कि निम्नलिखित वर्षों के लिए मेसर्स ________________, पंजीकृत पता ____ का वार्षिक कारोबार निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	टर्नओवर (₹ लाख में)
1	2017-18	
2	2018-19	
3	2019-20	

स्थान:
दिनांक:

द्वारा प्रमाणित:
(सी.ए. का विवरण अर्थात् नाम, फार्म का नाम, लाइसेंस नंबर)

<u>अनुलग्नक-'च'</u>

<u>सूची</u>

क्र.सं.	**दस्तावेजों का नाम**	**संख्या**
1	जीएसटी प्रमाणपत्र	
2	अनुभव प्रमाणपत्र	

3	ड्राइवर का लाइसेंस	
4	वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र	
5	सी.ए. प्रमाणपत्र	
6	तकनीकी बिड उपक्रम	
7	मूल्य बिड उपक्रम	
8	शपथ-पत्र	